

22/05/18

पञ्जावली आज न्याय आपडे डार मन्मिमान-  
 2018 डेम्प डोटि ग्राम पंचायत सवाडु मूलराज  
 में रखी गई, प्राप्ति कडील उपलब्धत। विप्राप्तिगण  
 बावडुड तामिल अनुउपलब्धत। प्राप्ति के अधिकतता  
 की उपपत्तीय बहस लुनी गई प्राप्ति के अधिकतता  
 ने बलाग्रा की प्राप्ति के रूपने प्यालेडारी खेतों के  
 चारों मोर पन्डे नैप्यम स्थापित उलवाना मावरपड  
 हो इमलिय प्राप्ति का नैप्यमबनी आवेदन स्वर्डार विभा  
 जाडर नैप्यमबनी आदेश विभा जावे।

मतः प्राप्ति का नैप्यमबनी आवेदन  
 स्वर्डार विभा जाडर लहसीलार रिगडा डो इमिशार  
 नियुक्त विभा जाला है व फाडिका विभा जाला है  
 कि प्राप स्वमं मा रूपने अधिकतता विनी भी मू  
 मन्मिलेय निरिसड ले प्राप्ति के प्यालेडारी खेतों की  
 पन्डी नैप्यमबनी मोडे पर मुलुड जमा उलडर डरे।  
 पालना रिपोर प्राप दोन पर वामिल पञ्जावली की  
 पञ्जावली कमल कुमार की दर्ज नम्बर ले डम की  
 दाखिल इफ्तार की।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु  
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018  
( केम्प कोर्ट, सवाउ मूलराज)

कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 345  
प्रार्थी बनाम

दिनांक:- 22/05/2018

विप्रार्थीगण

1. श्री तेजाराम पुत्र हरदानराम,  
जाति-जाट, निवासीयान-रामदेरिया,  
सवाउ मूलराज, तहसील-गिडा,  
जिला-बाडमेर

1. श्री शेराराम पुत्र लुम्भाराम वगैरा 17  
जातियान-जाट, निवासीयान-रामदेरिया,  
सवाउ मूलराज, तहसील-गिडा,  
जिला-बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या :- 129/18

आदेश

मौजा रामदेरिया पटवार हल्का सवाउ मूलराज के खेत खसरा नम्बर 491/417 रकबा 24.05 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिडा को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से उनके खेतों का सीमाज्ञान करवाकर, वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअनिरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिडा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत अधिकारी को सूचना दी है।



कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/ 346-50  
प्रतिनिधि-पुलिस थाना की सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक:-22/05/2018

1. तहसीलदार, गिडा।
2. पटवारी हल्का, सवाउ मूलराज को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री तेजाराम पुत्र हरदानराम।
4. विप्रार्थी श्री शेराराम पुत्र लुम्भाराम वगैरा 17।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिडा।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, धारा 128 राज.भू.रा.आधिनियम 1956

तेजाराम